

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, 492002

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 129 SEP 2023

क्रमांक 836/सा/2023/55-एक :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रदेश के बी.ए.एम. एस., बी.एच.एम.एस. एवं बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों हेतु अंतिम फीस पुनरीक्षण के संबंध में दिनांक 10.08.2023 एवं दिनांक 08.09.2023 को पारित संकल्प के अनुसरण में निम्नानुसार फीस निर्धारित करता है :-

शेड्यूल - ए
(बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु)

| स. क्र. | संस्था/महाविद्यालय का नाम | शैक्षणिक सत्र | कुल फीस प्रतिवर्ष/प्रतिछात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट चार्जस एवं अन्य फीस) |
|---------|---|------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, चन्द्रखुरी, दुर्ग (छ.ग.) | 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 | रूपये 1,34,700/- |
| 2. | छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी, राजनांदगांव (छ.ग.) | 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 | रूपये 1,34,700/- |
| 3. | भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ. ग.) | 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 | रूपये 1,34,700/- |
| 4. | महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुन्दरा, राजनांदगांव (छ.ग.) | 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 | रूपये 1,36,000/- |

29/9/2023

Handwritten signature and date: 29/9/23

//2//
शेड्यूल - बी
(बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु)

| स. क्र. | संस्था / महाविद्यालय का नाम | शैक्षणिक सत्र | कुल फीस प्रतिवर्ष / प्रतिछात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट चार्जेस एवं अन्य फीस) |
|---------|---|------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड रायपुर (छ.ग.) | 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 | रूपये 70,000 / - |

शेड्यूल - सी
(बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम हेतु)

| स. क्र. | संस्था / महाविद्यालय का नाम | शैक्षणिक सत्र | कुल फीस प्रतिवर्ष / प्रतिछात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट चार्जेस एवं अन्य फीस) |
|---------|--|------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग (छ.ग.) | 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 | रूपये 65,800 / - |

समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 10.08.2023 एवं 08.09.2023 के अंतर्गत, जो शर्त एवं निर्देश दिए गए हैं, वे बंधनकारी होंगे।

उपरोक्त आदेश प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के द्वारा पारित संकल्प दिनांक से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(रोमन कुमार भागवतचुर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग

पृ. क्रमांक 836/सा/2023/55-एक
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 12 9 SEP 2023

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग, रायपुर
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग।
3. सचिव, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, शासकीय सह-शिक्षा पॉलीटेक्निक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर छत्तीसगढ़।
4. संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़।
5. प्राचार्य, राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, चन्द्रखुरी, दुर्ग (छ.ग.)।
6. प्राचार्य, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी, राजनांदगांव (छ.ग.)।
7. प्राचार्य, भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्साल, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)।
8. प्राचार्य, महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुन्दरा, राजनांदगांव (छ.ग.)।
9. प्राचार्य, रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड रायपुर (छ.ग.)।
10. प्राचार्य श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग (छ.ग.)।
11. स्टाक फाईल।


29/9/2023
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग